अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 582/चौवालिस-1/81

सूरज प्रकाश सक्सेना,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।
सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग-1
लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर, 1981

प्रिय महोदय,

केन्द्रीय सार्वजनिक उद्योगों के अनुरूप उसी सीमा तक राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों को भी उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2474/ब्यूरो/75, दिनांक 24 सितम्बर, 1975 में शासन द्वारा क्रय अधिमान एवं मूल्य अधिमान प्रदान किया गया है। उक्त कार्यालय–ज्ञाप के प्राविधान निम्नवत् हैं:–

(क)– शासन के प्रशासनिक विभागों/विभागाध्यक्षों को चाहिए कि जहां कहीं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उनके द्वारा अपेक्षित सामग्री का उत्पादन करते हैं, वहां से अपने लिए अपेक्षित सामग्री को यथासंभव उपर्युक्त उपक्रमों से ही अधिकाधिक मात्रा में क्रय करें। निःसंदेह उन्हें इस बात पर जोर देना चाहिए कि जिस प्रकार की सामग्री उन्हें चाहिए, उसकी 'डेलीवरी' उन्हें वांछित समय पर होती रहे।

(ख)– इस प्रतिबन्ध के अधीन रहते हुए कि किसी मूल्य पर सहमत होने के लिए परस्पर बातचीत की जायेगी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 10% से अनधिक मूल्य अधिमान दिया जायेगा।

(ग)– यदि सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम 10 प्रतिशत से अधिक मूल्य अधिमान की अपेक्षा करे, उस स्थिति में क्रय करने वाले प्रशासनिक विभाग और सम्बद्ध उपक्रम को परस्पर बातचीत करके किसी निश्चित मूल्य पर सहमत होने का प्रयास करना चाहिए।

(घ)– यदि उपर्युक्त (ग) के सम्बन्ध में बातचीत में शीघ्रता करने पर भी सफलता न मिले तो ऐसे मामलों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपरोक्त निर्देशों में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि राज्य के सार्वजनिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को जो 10 प्रतिशत का मूल्य अधिमान प्रदान किया गया है, वह स्थायी नहीं हो सकता और न ही उसे हमेशा के लिए स्वीकृत समझा जा सकता है। अस्तु, सार्वजनिक उद्योगों/निगमों द्वारा इस बात का हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिए कि वे उत्पादित वस्तुओं की लागत को कम करें तथा प्रतियोगिता की क्षमता प्राप्त करें।

2- कालान्तर में भारत सरकार ने केन्द्रीय उद्योगों को दी गई उपर्युक्त सुविधा को समाप्त कर दिया था। भारत सरकार की उपर्युक्त नीति को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर शासन ने विचार किया जाना उपयुक्त समझा कि क्या उपर्युक्त व्यवस्था को राज्य के सार्वजनिक उद्योगों में बनाये रखा जाय अथवा समाप्त कर दिया जाय? और इस आशय से प्रश्नगत विषय को सचिवों की समिति के समक्ष दिनांक 1-10-80 की बैठक में उनके विचारार्थ रखा गया था किन्तु इस विषय को समिति द्वारा अगली बैठक होने तक स्थगित रखा गया था।

3- इस बीच प्रश्नगत विषय में भारत सरकार ने अपनी उपर्युक्त नीति में एक बार पुनः परिवर्तन करके केन्द्रीय, सार्वजनिक उद्योगों को प्रदान किये गये क्रय अधिमान एवं मूल्य अधिमान की व्यवस्था को पूर्ववत फिर से दोहराया है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार की उपर्युक्त नीति में उसी प्रकार के प्राविधान है जैसा कि भारत सरकार द्वारा किया गया है। वर्णित स्थिति का हवाला देते हुए विषय को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो की सलाहकार समिति के समक्ष उनके विचारार्थ दिनांक 31 जुलाई, 1981 को रखा गया था और उनका मत निम्नवत् है:–

"राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को मूल्य अधिमान (Price preference) एवं क्रय अधिमान (Purchase preference) प्रदान किया जाना।"

भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार एवं जिस सीमा तक केन्द्रीय उद्योगों/निगमों के उत्पादित वस्तुओं को मूल्य अधिमान (Price preference) एवं क्रय अधिमान (Purchase preference) प्रदान किया गया था, उसी के अनुरूप, मंत्रि–परिषद के अनुरोध से, राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को कार्यालय– ज्ञाप संख्या–2474/ब्यूरो-111/75, दिनांक 24 दिसम्बर, 1975 के अन्तर्गत मूल्य अधिमान एवं क्रय अधिमान प्रदान किया गया है। सलाहकार समिति द्वारा यह कहा गया कि भारत सरकार ने केन्द्रीय उद्योगों/निगमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को मूल्य/क्रय अधिमान प्रदान करने के विषय में पुनः विचारोपरान्त पूर्वनीति को अपनाते हुए पहले की भांति वर्ष 1980 से अधिमान प्रदान कर दिया है। ब्यूरो के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 24 सितम्बर, 1975 के प्राविधान लगभग उसी प्रकार हैं जिस प्रकार के प्राविधान केन्द्रीय उपक्रमों के लिए रखे गये हैं। सलाहकार समिति ने मत व्यक्त किया कि अब भारत सरकार ने पुनः विचार के उपरान्त अपने अधीनस्थ बृहत सार्वजनिक उद्योगों को मूल्य/क्रय अधिमान देना आवश्यक समझा है और तद्नुसार अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया है। अतः राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों को भी, जो अभी शैशव अवस्था में है, उपरोक्त सुविधा से वंचित करने तथा उन्हें प्रदान किये गये क्रय/मूल्य अधिमान को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अन्य विभागों/निगमों के उपयोग में आने वाली कुछ वस्तुएं ही थोड़ी मात्रा में उत्पादित की जाती है जो कि विभागों/निगमों द्वारा किये जाने वाले क्रय मूल्य तथा क्रय अधिमान के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो द्वारा जारी किया गया कार्यालय–ज्ञाप संख्या-2474/ब्यूरो-111/75, दिनांक 24 सितम्बर, 1975 प्रभावी रहेगा।

4- उक्त विषय पर सलाहकार समिति द्वारा व्यक्त किये गये मत से आपको अवगत कराने की मुझसे आकांक्षा की गई है। यदि इस विषय पर आपके कोई सुझाव हों तो उससे ब्यूरो अनुभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
[सूरज प्रकाश सक्सेना]

शासन के समस्त सचिव